बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः— नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज नेटवर्क योजना अनुमानित लागत राशि रू० 72,65,31,500 (बहत्तर करोड़ पैंसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र का बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संधारित रू० 4000/— करोड़ मात्र से व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत दीघा—कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण है तथा सीवरेज नेटवर्क परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में गृह संयोजन का कार्य प्रगति में नहीं होने के कारण घर में सीवरेज का बहाव नेटवर्क में नहीं हो पा रहा है। गृह संयोजन के उपरांत ही योजना का उद्देश्य पुरा होगा। योजनान्तर्गत सीवरेज नेटवर्क की कुल लंबाई दीघा में लगभग 160 कि०मी० तथा कंकड़बाग में 78 कि०मी० अर्थात् कुल 238 कि०मी० है तथा कुल पिट की संख्या 21566 है। उल्लेखनीय है कि अलग—अलग प्रति 4 घर पर एक इंस्पेक्शन चैंबर पिट रखा जाता है, तो कुल संख्या 117960 गृह संयोजन की आती है। इस प्रकार कुल लगभग 110000 घर के प्रति गृह संयोजन की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक—204, दिनांक—23.05.2025 द्वारा गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करने हेतु प्रति घर 6,273 रूपये के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्वीकृति की तिथि से प्रभावी है। उक्त के आलोक में 110000 घरों के लिए प्रति घर कुल रू० 6,273 के हिसाब से कुल 110000*6273=69,00,30,000 (उनहत्तर करोड़ तीस हजार इकतीस हजार रूपये) आती है। सेंटेज सहित कुल प्राक्कलित राशि रू० 72,65,31,500 (बहत्तर करोड़ पैंसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र है।

2. योजना के कार्यान्वयन से दीघा कंकड़बाग के क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों के घरों/प्रतिष्ठानों के सीवेज को सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ा जायेगा ताकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से निर्धारित मापदंड तक शुद्ध कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाना है। शहर के अन्दर नई प्रणाली बनाये जाने से गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण में गुणात्मक

सुधार होने की संभावना है। नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत दीघा–कंकड़बाग सीवरेज नेटवर्क परियोजना अंतर्गत सीवरेज नेटवर्क की कुल लम्बाई 238 कि० मी० है, जिसे कुल 12 महीनों में पूरा किया जाना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं आई० एण्ड डी० कार्य के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख–रखाव किया जाना है।

3. नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज योजना में गृह संयोजन किया जाना है। योजना के लिये स्वीकृत राशि का प्रबंध बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संधारित रू० 4000/– करोड़ मात्र से किया जायेगा, जिसकी वर्षवार विवरणी निम्नवत् है:–

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	वर्षवार व्यय की जानेवाली कुल राशि
1	*2*	*3*
1	2026-2027	72.65315
कुल राशि		**72.65315**

4. योजना पूर्ण होने से शहर से निकलने वाले सीवेज को संग्रह करने हेतु गृह संयोजन का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा तथा दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सीवेज को पहुँचाकर इसके शोधन का कार्य किया जायेगा।

5. बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संधारित रू० 4000/– करोड़ मात्र से किया जायेगा।

6. **अतः नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज नेटवर्क योजेना अनुमानित लागत राशि रू० 72,65,31,500 (बहत्तर करोड़ पैंसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र का बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संधारित रू० 4000/– करोड़ मात्र से व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

7. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक–29.04.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–46 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/न०वि०–SWD–07–36/2024 1405 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–30.4.26

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/न०वि०–SWD–07–36/2024 1405 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–30.4.24

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/महानिदेशक, NMCG, भारत सरकार/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी को ई–मेल करने/टीम लीडर, SPMG को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4

सरकार के प्रधान सचिव।